रेल दावा अधिकरण (प्रधान पीठ)
13/15 माल रोड
दिल्ली-54

सं0 आरसीटी/दिल्ली/आउट सोर्सिंग स्टेनो/2022 — दिनांक 26.03.2024 27

रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली में अंग्रेजी के आशुलिपिक के 01 पद को रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संविदा के आधार पर अस्थाई रूप से भरने हेतु नीचे उल्लिखित तारीख समय एवं स्थान पर वॉक इन इन्टरव्यू आयोजित किया जाएगा।

स्थान	दिनांक	रिपोर्टिंग का समय
रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ 13/15 माल रोड दिल्ली-54	29.04.2024	10:00 वजे

इच्छुक आवेदनकर्ता इस साक्षात्कार से संबंधित शर्तों व निबंधनों की विस्तृत जानकारी के लिए आरसीटी की वेबसाइट www.rct.indianrail.gov.in और उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in पर देखें।

सहायक रजिस्ट्रार
रेल दावा अधिकरण
दिल्ली-54
मोबाईल नं. 9560391675

रेल दावा अधिकरण, दिल्ली कार्यालय में संविदागत/आउटसोर्सिंग आधार पर आशुलिपिक की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें:-

1. आशुलिपिक के पद के लिए योग्यता/अर्हता एवं अनुभव:-

   किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटि से 12th और समकक्ष परीक्षा पास होने के साथ साथ कंप्यूटर की समग्र जानकारी सहित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि में दक्षता, एम एस वर्ड, एक्सल की जानकारी, व्यवहार-कुशल और पारस्परिक कौशल में भी दक्ष हो। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और कंप्यूटर पर आशुलिपि के लिप्यातंरण के लिए 50 मिनट की कौशल परीक्षा होगी।

गति	अवधि	लिप्यांतरण समय
80 शब्द प्रति मिनट	10 मिनट	50 मिनट

2. अभ्यार्थी की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष (ओबीसी अभ्यार्थी के केस में 3 वर्ष एवं एससी/एसटी अभ्यार्थियों के केस में 5 वर्ष की छूट)
3. पारिश्रमिक वेतन का भुगतान रूपये 25,500/- + डीए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 49014/2017-इस्ट.(सी)पीटी दिनांक 04.09.2019 में अंतविनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।
4. यदि नियुक्ति/ठके के आधर लिया गया कोई व्यक्ति डयूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे भुगतान की जाने वाली राशि में से यथा आनुपातिक आधर पर राशि की कटौती की जाएगी। प्रतिदिन की अनुपस्थिति के मामले में कटौती की राशि एकमुश्त राशि का 1/30 वां भाग होगी।
5. सभी कार्य दिवसों पर 9.30 बजे से 18.00 बजे तक कार्य के आठ घंटे होंगे जिसमें 13.30 बजे से 14.00 वे क आधे घंटे का भोजन अवकाश होगा।
6. चूंकि रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक संगठन है, इसलिए उम्मीदवारों को यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी गोपनीय सूचना के लीक होने पर मुकदमें सहित कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
7. किसी भी पक्षकार द्वारा एक महीने पूर्व नोटिस देने पर यह व्यवस्था समाप्त की जा सकती है:-
   (i) उपर्युक्त संविदागत व्यवस्था ऐसी नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तों की स्वीकृति की तारीख से अधितम 11 महीने की अवधि के लिए अथवा जब तक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा पदों को न भर लिया जाए, जो भी पहले हो, तक होगी।
   (ii) उपुर्यक्त संविदागत व्यवस्था दोनों पक्षकारों की सहमति से और संविदागत आधार पर लिए गए उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के कार्य-निष्पादन के आधार पर उपयुक्त (i) के अध्यधीन अगले 11 महीने के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
8. इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों की नियुक्ति रेल दावा अधिकरण या रेलवे में किसी नियुक्ति की पेशकश नहीं होगी।
9. यदि इस प्रकार नियुक्ति किए गए व्यक्तियों द्वारा किसी उपकरण अथवा संपत्ति को जानबूझकर कोई नुकसान/हानि पहुंचायी जाती है, तो उनके मासिक वेतन से इसकी वसूली की जाएगी।

27-03-24

रेल दावा अधिकरण, दिल्ली पीठ में आशुलिपिक के पद को पूर्णत: संविदागत आधार पर भरने के आवेदन पत्र का फॉर्मेट

	फोटो

1.	उम्मीदवार का पूरा नाम (बडे अक्षरों में)	
2.	जन्म तिथि	
3.	पिता/पति का नाम	
4	पत्राचार का पता	
5	स्थाई पता	
6	टेलीफोन/मोबाईल नंबर	
	फैक्स नंबर	
	ई मेल आईडी	
	(टेलीफोन, मोबाईल नंबर एवं ई मेल अनिवार्य है)	
7	वर्तमान व्यवसाय, यदि कोई हो	
8	शैक्षिणिक योग्यता (रिवर्स क्रमानुसार)	

	बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत	शैक्षिणिक योग्यता विशेष रूप से यदि कोई हो	विशेषज्ञता प्राप्त विषय

उम्मीदवार के हस्ताक्षर